न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–26/2021

प्रार्थीनी:–

1. सारिका पुत्री भीमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी इटवाया तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जगदीश पुत्र करनाराम जाति पुरोहित निवासी इटवाया
2. दीपक भाई पुत्र भीमला जाति पुरोहित निवासी इटवाया
3. नरपत पुत्र करनाराम जाति पुरोहित निवासी इटवाया
4. भरत कुमार पुत्र मांगीलाल जाति पुरोहित निवासी इटवाया
5. भंवरलाल पुत्र करनाराम जाति पुरोहित निवासी इटवाया
6. मोरो पत्नी करनाराम जाति पुरोहित निवासी इटवाया
7. वचनाराम पुत्र करनाराम जाति पुरोहित निवासी इटवाया
8. सुवटी पत्नी मांगीलाल जाति पुरोहित निवासी इटवाया
9. एस.बी.आई.शाखा पादरू जरिये बैंक मैनेजर
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 13.08.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण 1 ता 1 की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा इटवाया पटवार मण्डल पादरू में खेत खसरा संख्या 1041,982 व 983 रकबा क्रमश 0.5261,8.532 व 0.0809 हैक्टयर तथा सरहद मौजा पादरू पटवार मण्डल पादरू खसरा संख्या 841 रकबा 0.2347 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। प्रार्थीया के पिता भीमला की फौतगी म्यूटेशन दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा परिवार के लोगो द्वारा स्नेह वश पुकारे जाने वाले नाम सारिका बने पुत्री भीमला दर्ज कर दिया गया । जबकि प्रार्थीनी के समस्त सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेज यथा जन आधारकार्ड व आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड इत्यादि में प्रार्थीनी का नाम सारिका पुत्री भीमसिंह दर्ज है। प्रार्थीनी के अपने खातेदारी खेतो की भूमि में सारिका बेन दर्ज होने से सरकारी सेवाओं एवं ऋण आदि में भारी परेशानी जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:47:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त तहसीलदार सिवाना ने पत्रांक भू.अ./2021/692 दिनांक 03.05.2021 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थीनी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीनी का नाम सारिका बेन पुत्री भीमला के स्थान पर सारिका पुत्री भीमसिंह दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा जन आधारकार्ड व आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड में सारिका पुत्री भीमसिंह इत्यादि में प्रार्थीनी का नाम सारिका पुत्री भीमसिंह दर्ज हैं। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के संलग्न पटवारी रिपोर्ट में प्रार्थीनी द्वारा चाहे गये अनुतोष प्रदान किये जाने अनुशंषा की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा इटवाया पटवार मण्डल पादरू में खेत खसरा संख्या 1041,982 व 983 रकबा क्रमशः0.5261,8.532 व 0.0809 हैक्टयर तथा सरहद मौजा पादरू पटवार मण्डल पादरू खसरा संख्या 841 रकबा 0.2347 हैक्टयर में अंकित अशुद्ध नाम "सारिका बेन पुत्री भीमला " के स्थान पर "सारिका पुत्री भीमसिंह " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 13.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) (सिवाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:47:15 IST
Reason: SelfAttested